

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 36 : Period of retention of accounts

Every registered person required to keep and maintain books of account or other records in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 35 shall retain them until the expiry of seventy two months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records:

Provided that a registered person, who is a party to an appeal or revision or any other proceedings before any Appellate Authority or Revisional Authority or Appellate Tribunal or court, whether filed by him or by the Commissioner, or is under investigation for an offence under Chapter XIX, shall retain the books of account and other records pertaining to the subject matter of such appeal or revision or proceedings or investigation for a period of one year after final disposal of such appeal or revision or proceedings or investigation, or for the period specified above, whichever is later.

धारा 36 : लेखाओं के प्रतिधारण की अवधि

धारा 35 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन्हें ऐसे लेखाओं और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से बहत्तर मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगा:

परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही, चाहे वह उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या वह अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।